



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241785
CG-DL-E-09012023-241785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]
No. 99]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली 9 जनवरी, 2023

का.आ. 105(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, जिसके जन्म की तारीख 21 मई, 1996 है, पुत्र चरनजीत सिंह गिल, जिसका जन्म जगरान, लुधियाना, पंजाब में हुआ है, यह वार्ड नं0 02, पत्नी माल, वीपीओ-डाला, पुलिस स्टेशन – मेहना, जिला मोगा, पंजाब, भारत का रहने वाला है, जो वर्तमान में कनाड़ा में रह रहा है, यह खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) नामक संगठन से संबंध रखता है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला का, उक्त अधिनियम के अधीन घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से नजदीकी संबंध है और वह उसकी ओर से आतंकी माड्यूलस चलाता है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त जघन्य अपराधों जैसे हत्या, जबरन वसूली और लक्षित हत्याओं में शामिल है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, बड़ी मात्रा में सीमापार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा आतंक के वित्तीयन में शामिल है ;

और, उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित विभिन्न मामलों में अभियुक्त है, जिनमें लक्षित हत्याओं, आतंक के वित्तीयन के लिए वसूली, हत्या का प्रयास, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भारत के पंजाब राज्य में लोगों के बीच भय पैदा करना शामिल है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और उक्त अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“53. अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला ”

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण :- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 104 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

S.O.. 105(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala having date of birth on the 21st May, 1996, son of Charanjit Singh Gill, born in Jagraon, Ludhiana, Punjab, resident of Ward No. 02, Patti Mall, VPO-Dala, Police Station-Mehna, District Moga, Punjab, India, presently based in Canada, is associated with Khalistan Tiger Force (KTF) ;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is very close to Hardeep Singh Nijjar, a designated terrorist under the said Act and runs terror modules on behalf of him;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is involved in heinous crimes such as murder, extortion and targeted killings besides terror activities;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is involved in terror financing, cross border smuggling of drugs or weapons in large scale;

And whereas, the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is accused in various cases registered and investigated by the National Investigation Agency including targeted killing, extorting money for terror funding, attempt to murder, disturbing communal harmony and creating terror among the people in the state of Punjab, India;

And whereas, the Central Government believes that Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is involved in terrorism and the said Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 52 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“53. Arshdeep Singh Gill @ Arsh Dala ”.

[F.No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:—The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 104 (E), dated the 7th January, 2023.